महत्वपूर्ण

संख्याः 1/2020/124/38-10-2020-24/17टीसी।

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2020

विषय: मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित राजस्व ग्रामों में शहीद सैनिक के ग्रामों में शहीद सैनिक की मूर्ति स्थापना के संबंध में।

महोदय,

मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किए जाने विषयक शासनादेश संख्याः 01/2018/13/38-10-2018-24/17 दिनांक 22 जनवरी, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 22 जनवरी, 2018 के प्रस्तर-3(ii) योजनान्तर्गत संचालित कार्यक्रम में बिन्दु सं0-24 पर संस्कृति विभाग से संबंधित "शहीद सैनिक की मूर्ति स्थापना" कार्यक्रम सम्मिलित है। उक्त शासनादेश के अनुसार शहीद सैनिक के ग्रामों में शहीद सैनिक की मूर्ति स्थापना संस्कृति विभाग द्वारा की जानी थी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत शासनादेश दिनांक 22 जनवरी, 2018 के प्रस्तर-3(ii) के बिन्दु संख्या-24 "शहीद सैनिक की मूर्ति स्थापना" के संबंध में संस्कृति विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा निम्नानुसार अनुपालन कार्यवाही कराए जाने का निर्णय लिया गया है:-

1- शहीद सैनिक की मूर्ति का निर्माण संस्कृति विभाग द्वारा कराया जायेगा।
2- शहीद सैनिक की मूर्ति की स्थापना से संबंधित कार्य उस जनपद की जिला पंचायत द्वारा अपने स्त्रोतों से किया जायेगा।
3- शहीद सैनिक की मूर्ति, लागत रु0 02.00 लाख तक होने की स्थिति में धनराशि संबंधित जनपद की जिला पंचायत द्वारा अपने संसाधनों से वहन की जायेगी।
4- शहीद सैनिक की मूर्ति की लागत रु0 2.00 लाख से अधिक होने की स्थिति में उक्त व्यय संस्कृति विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट में व्यवस्था कराते हुए वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

5- उपर्युक्त शासनादेश संख्या 01/2018/13/38-10-2018-24/17 दिनांक 22 जनवरी, 2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,
के0 रविन्द्र नायक
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 1/2020/124 (1)/38-10-2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, नियोजन/वित्त, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
लोक निर्माण, ऊर्जा, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, महिला कल्याण, समाज कल्याण, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वन एवं वन्यजीव, खाद्य एवं रसद, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, दुग्ध विकास, कृषि एवं संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
11- गार्ड फाइल।

सुधीन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।